राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक एफ-9(9)राज-6/2011/18 जयपुर, दिनांक 29-[illegible]-2011

निमित्त
जिला कलेक्टर्स (समस्त)

विषयः– <u>सार्वजनिक भूमियों (Common Lands) को अतिक्रमण मुक्त कराने बाबत।</u>

प्रसंगः– <u>माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (C) No.3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में निर्णय दिनांक 28–01–2011 के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (C) No.3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–01–2011 की प्रति सुलभ संदर्भ के लिये संलग्न कर लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संदर्भित निर्णय में चरागाह भूमियों/ जोहड पायतन (catchments of a pond/Water Reservoirs) और तालाबों (ponds) की भूमियों मे से निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये दी गयी भूमियो अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना है और ऐसे आवंटियों को अतिकमी मानते हुये उन्हें बेदखल करने के निर्देश दिये है। माननीय न्यायालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवां को ऐसे काबिज/ अतिकमी व्यक्तियों अथवा औद्योगिक घरानों से चरागाह भूमियों/ जोहड पायतन (catchments of a pond/Water Reservoirs) और तालाबों (ponds) की भूमियों को मुक्त कराने की कार्यवाही करने और समय समय पर प्रगति से न्यायालय को अवगत कराने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं तथा ऐसी प्रथम प्रगति रिपोर्ट 3 मई 2011 को प्रस्तुत की जानी है।

अतः सभी जिला कलेक्टर्स से अपेक्षित है किः–

(1) चरागाह भूमियों/ जोहड पायतन (catchments of a pond/Water Reservoirs) और तालाबों (ponds) की भूमियों पर सभी प्रकार के (स्थायी, अस्थायी) [illegible] नियमानुसार हटा कर संलग्न प्रारूप "अ" में सूचना इस विभाग [illegible] व राजस्व मण्डल अजमेर को सूचना भेजी जावे। ऐसी प्रथम [illegible] दिनांक 20–04–2011 तक आवश्यक रूप से इस विभाग में भेजना सुनिश्चत करें ताकि दिनांक 3 मई 2011 को मुख्य सचिव महोदय की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट उक्त प्रगति को शामिल कराया जा सके।

(2) उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अलावा चरागाह भूमियां, जोहड़ पायतन (catchments of a pond/Water Reservoirs) और तालाबो (ponds) की भूमियों पर राज्य सरकार अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये दी गयी भूमियो अर्थात किये गये आवंटनों/नियमनों के फलस्वरूप कब्जों की स्थिति की सूचना संलग्न प्रारूप "ब" में 30–04–2011 तक इस विभाग को व राजस्व मण्डल अजमेर को भेजने की व्यवस्था करावें ताकि विधि विभाग/ महाधिवक्ता से राय प्राप्त कर उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही हेतु नीति बनाई जा सके।

इसे अत्यावश्यक समझ कर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

संलग्नः– 1. यथोक्त दो प्रारूप।
2. माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–01–2011 की प्रति।

भवदीय
29.3.11
(बी. एल. आर्य)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर वास्ते मॉनिटरिंग व आवश्यक कार्यवाही।
2. समस्त संभागीय आयुक्तगण (राजस्थान) को भेज कर अनुरोध है कि कृपया आपके स्तर से मॉनिटरिंग कर वांछित सूचना 15 दिवस में भिजवाने की व्यवस्था करावे।

प्रमुख शासन सचिव